

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर  
क्रमांक :- ई-18/एम/एसीपी/जोन-बीकानेर/2023/172 दिनांक : 15-02-24

### आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 व 09.12.2017 एवं एफ.15(88)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 27.02.2022 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार श्री हनुमान सैनी, वरिष्ठ सहायक कार्यालय अति० मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प०क०), श्रीगंगानगर जिनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 18.03.1996 है, को 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 18.03.2023 से पे मेट्रिक्स के लेवल-11 में एसीपी स्वीकृत किया जाता है।

उक्त कर्मचारी का वेतन नियतन संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पृथक से किया जावेगा।

(सुरेश नवल)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राज. जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/एसीपी/जोन-बीकानेर/2023/172 दिनांक : 15-02-24  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।
2. अति० मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी(प०क०), श्रीगंगानगर।
3. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
4. श्री हनुमान सैनी, वरिष्ठ सहायक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राज. जयपुर

RajKaj Ref  
5220811

Document certified by SURESH  
NAWAL <add4ng@gmail.com>  
Digitally Signed by Suresh  
Kumar Naval  
Designation : Director  
Date :12-02-2024 09:41:35